रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-127

REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 1989/कार्तिक 16, 1911
No. 590] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 1989/KARTIKA 16, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1989

सा. का. नि. 967(अ) —भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के उप-नियम (1) के अनुसरण में और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात —

1 (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) द्वितीय संशोधन, विनियमावली, 1989 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 में —

(1) विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ट) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(1) वर्ष से तात्पर्य अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारम्भ होकर अनुवर्ती वर्ष के मार्च के 31वें दिन को समाप्त अवधि से है।"

(2) विनियम 3 में उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(1) राज्य संवर्ग या किसी संयुक्त संवर्ग के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें आयोग का अध्यक्ष सम्मिलित होता है और जहां पर अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो पाता, आयोग का कोई अन्य सदस्य इसका प्रतिनिधित्व करता है और निम्नलिखित सदस्य होते हैं, अर्थात :—

(क) संयुक्त संवर्गों के अतिरिक्त अन्य राज्य

(i) मुख्य सचिव,

(ii) सरकार के कम से कम सचिव के रैंक का अधिकारी जो गृह विभाग का प्रभारी,

(iii) महा निदेशक तथा पुलिस महा निरीक्षक,

अथवा

जहां पर महानिदेशक तथा पुलिस महानिरीक्षक का कोई संवर्ग पद विद्यमान नहीं है तो पुलिस महानिरीक्षक,

(iv) सेवा का कोई सदस्य जो कम से कम पुलिस उप महानिरीक्षक के रैंक का है, और

(v) भारत सरकार का कोई मनोनीत सदस्य जिसका रैंक संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो।

(ख) अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्रों के अतिरिक्त संयुक्त संवर्गों के लिए

(i) संघटक राज्यों की सरकारों के मुख्य सचिव,

(ii) संघटक राज्यों के महा निदेशक तथा पुलिस महानिरीक्षक;

या

जहां पर महा निदेशक तथा पुलिस महानिरीक्षक का कोई संवर्ग पद विद्यमान नहीं है, वहां संघटक राज्यों का पुलिस महानिरीक्षक,

(iii) भारत सरकार का कोई मनोनीत सदस्य जिसका रैंक कम से कम संयुक्त सचिव स्तर का हो।

टिप्पणी.—अरुणाचल प्रदेश—गोवा—मिजोरम—संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग के लिए समिति का गठन उपर्युक्त संवर्ग के लिए संयुक्त संवर्ग प्राधिकारियों से परामर्श करके पृथक रूप से निर्धारित किया जाएगा।"

3 विनियम 5 में —

(क) जहां कहीं "जनवरी का पहला दिन" शब्द और कहां "अप्रैल का पहला दिन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात —

"(1) प्रत्येक समिति की बैठक अधिक से अधिक एक वर्ष के अन्तराल पर होगी और इसके द्वारा राज्य सिविल सेवा के ऐसे सदस्यों की सूची तैयार की जाएगी जिन्हें इसके द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा जाता है। सूची में सम्मिलित किए जाने वाले राज्य सिविल सेवा के सदस्यों की संख्या की गणना अगले नियमों के नियम 9 के अधीन उनके लिए उपलब्ध पदों में सूची तैयार होने की तारीख से 12 महीनों की अवधि के दौरान प्रत्याशित सभी रिक्तियों के रूप में की जाएगी तथा उसमें उस संख्या का 20 प्रतिशत अथवा दो पद, इनमें से जो भी अधिक हो जोड़ दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण—संयुक्त संवर्गों के मामले में, प्रत्येक राज्य पुलिस सेवा से सम्बन्धित एक पृथक चयन सूची तैयार की जाएगी, प्रत्येक चयन सूची का आकार उपर्युक्त दर्शायी गई पद्धति के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है।"

(ग) उप-विनियम (2क) और उसके अधीन आने वाले स्पष्टीकरण विलुप्त हो जाएंगे।

(घ) उप-नियम (5) में, "राज्य पुलिस सेवा" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात —

"राज्य पुलिस सेवा",

बशर्ते कि सूची में इस तरह से सम्मिलित किसी भी अधिकारी या नाम अनन्तिम समझा जाएगा, यदि राज्य सरकार ऐसे अधिकारी के संबंध में सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र देने से इंकार कर देती है अथवा उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रस्तावित है अथवा लम्बित है अथवा उसके विरुद्ध राज्य सरकार के ध्यान में को प्रतिकूल बात आई हो।'

4 विनियम 6 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा।

"6क राज्य सरकार विनियम 6 में उल्लिखित सूची की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भी भेजेगी और केन्द्रीय सरकार समिति की सिफारिशों पर आयोग को अपनी टिप्पणियां भेजेगी।"

5 विनियम 7 में —

(क) उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात —

"(1) आयोग समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा इसके साथ

(क) विनियम 6 के अन्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त दस्तावेजों,

(ख) केन्द्रीय सरकार की टिप्पणियां सहित समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा तथा जब तक वह कोई परिवर्तन अत्यावश्यक न समझे सूची को अनुमोदित करेगा।",

(ख) उप-नियम (1) में,—

(i) पहले परन्तुक से पूर्व, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात — 'बशर्ते कि विनियम 5 के अन्तर्गत नई सूची तैयार करने वाली नई समिति की बैठक के पश्चात् विनियम 9 के अन्तर्गत सेवा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी।"

(ii) प्रथम परन्तुक में 'शर्त यह है कि' शब्दों के स्थान पर "आगे शर्त यह है कि" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

6 विनियम 9 में,—

(क) उप विनियम (1) में परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे अर्थात् —

"आगे यह भी शर्त है कि किसी ऐसे अधिकारी के मामले में जिसका नाम विनियम 5 के उप-विनियम (5) के परन्तुक के अधीन अनन्तिम रूप में से चयन सूची में शामिल किया गया है उसकी नियुक्ति जिस अवधि तक चयन सूची वैध रहती है उस अवधि के दौरान राज्य सरकार की सिफारिशों पर आयोग द्वारा उसके नाम का बिना शर्त अनुमोदन होने के बाद की जाएगी किंतु ऐसे अधिकारी को नियुक्त करते समय जो कि चयन सूची के किसी ऐसे अधिकारी से कनिष्ठ हो जिसका नाम अनन्तिम रूप से चयन सूची में शामिल कर लिया गया हो अनन्तिम रूप से शामिल किए गए ऐसे अधिकारी के लिए एक पद रिक्त रखना होगा।

आगे यह भी शर्त है कि जिस मामले में चयन सूची के किसी अधिकारी की नियुक्ति की बारी आती है और वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनिच्छा जाहिर कर देता है और सम्बन्धित राज्य सरकार संतुष्ट हो केन्द्रीय सरकार को सूचित कर देता है तो चयन सूची में उससे कनिष्ठ अधिकारियों को, ऐसे अधिकारी के लिए कोई भी पद आरक्षित किए बिना नियुक्त कर दिया जाएगा। उसे चयन सूची से सेवा में नियुक्ति का कोई हक प्राप्त नहीं होगा।"

(ख) उप-विनियम (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् —

"(2) उन स्थितियों को छोड़कर जब कि राज्य सिविल सेवा के किसी सदस्य के नाम के चयन सूची में शामिल किए जाने से

लेकर प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि के दौरान राज्य सिविल सेवा के सदस्य के काम के स्तर मे कोई गिरावट आ गई हो या कोई ऐसा अन्य आधार हो जिसके कारण राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार की राय मे उसे सेवा मे नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त माना गया हो, ऐसी नियुक्तियो से पूर्व सामान्यत आयोग से परामर्श करना जरूरी नही होगा ।"

7 विनियम 9 के बाद निम्न जोडा जाएगा, अर्थात् —

"9 क. कतिपय मामले मे नियुक्ति न किए जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार की शक्तिया —

इन विनियमो या विनियम 9(1) के अधीन सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिशो में जो कुछ कहा गया है उस सब के बावजूद केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची मे शामिल है नियुक्त न करने का अधिकार रखती है बशर्ते कि उसकी राय में ऐसा करना लोक हित की दृष्टि से आवश्यक अथवा समयोजित हो ।

लेकिन शर्त यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा कोई भी निर्णय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किए बिना नही लिया जाएगा ।"

8 अनुसूची को विलोपित किया जाएगा ।

टिप्पण :—मूल विनियम अधिसूचना सं. 14/2/54-अ भा से (II) तारीख 6-6-1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

तत्पश्चात् उन्हें निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया —

1 13/21/56—अ भा से. (III) तारीख 28-2-58

2. 13/10/57-अ.भा.से. (III)—डी तारीख 29-7-58

3. 17/19/58—अ.भा.से. (III)—बी तारीख 2-6-59

4. 10/5/61—अ भा.से. (I) तारीख 1-9-61

5. 27/48/64—अ.भा.से. (III)-II तारीख 11-12-64

6 27/28/64—अ.भा से. (III)-बी तारीख 24-5-60

7. 14/25/65—अ भा से. (III) तारीख 7-2-66

8. 27/42/64—अ.भा.से. (III) तारीख 31-3-67

9. 13/4/67—अ.भा.से. (I)-5 तारीख 29-12-67

10. 17/5/68—अ.भा से (III)-बी तारीख 24-5-69

11. 17/19/58—अ.भा.से. (III)-बी तारीख 2-6-69

12. 16/1/68—अ.भा.से. (III)-बी तारीख 9-4-70

13 16/5/70—अ.भा.से. (III) तारीख 21-9-71

14. 13/4/71—अ.भा.से. (I) तारीख 11-1-72

15. 1/1/72—अ.भा.से. (I)-बी तारीख 12-10-72

16 11/1/72—अ.भा से. (I)-बी तारीख 22-5-73

17. 11/2/73—अ.भा.से (I)-डी तारीख 12-9-73

18. 11/1/73—अ.भा.से. (I)-बी तारीख 19-2-74

19. 11039/2/76—अ.भा.से. (I)-बी तारीख 20-4-76

20 11039/6/76—अ.भा.से. (I)-बी तारीख 30-9-76

21 11039/1/76—अ भा.से. (I)-बी तारीख 11-4-77

22. 11039/6/76—अ.भा.से. (I)—ई तारीख 3-6-77

23. 11039/2/76—अ भा से (I)-ए तारीख 3-10-77

24. 11039/21/76—अ.भा.से. (I)-बी तारीख 1-6-78

25 28012/20/76—अ भा से (I)-बी तारीख 3-10-79

26 11039/6/77—अ भा से (I)-बी तारीख 19-3-83

27. 14015/39/85—अ भा से (I) तारीख 30-12-87

28 13013/1/89—अ.भा से. तारीख 24-1-89

[सख्या 14015/26/89—अ भा से. (I)]

एम. के. वेहन, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 1989

G.S.R. No. 967(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) and in pursuance of sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government after consultation with the State Governments and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indain Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely:—

1.(1) These regulations may be called the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Second Amendment Regulations, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955,—

(1) after clause (k) of sub-regulation (1) of regulation 2, the following clause shall be inserted, namely :—

"(l) 'Year' means the period commencing on the first day of April and ending on the 31st day of March of the subsequent year.";

(2) in regulation 3, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

(1) There shall be constituted for a State Cadre or a joint cadre, a Committee consisting of the Chairman of the Commission or, where the Chairman is unable to attend, any other Member of the Commission representing it and the following other members namely :—

(a) For States other than Joint Cadres :

(i) Chief Secretary,

(ii) Officer not below the rank of Secretary to the Government Incharge of Home Department;

(iii) Director-General and Inspector-General of Police ;

Where no Cadre post of Director-General and Inspector General of Police exists, then the Inspector-General of Police;

(iv) A member of the Service not below the rank of Deputy Inspector-General of Police; and

(v) A nominee of the Government of India not below the rank of Joint Secretary.

(b) For Joint Cadres other than Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories :

(i) Chief Secretaries to the Governments of the Constituent States;

(ii) Director-General and Inspector-General of Police of the Constituent States ;

OR

Where no cadre post of Director-General and Inspector-General of Police exists then, the Inspector-General of Police of the Constituent States ;

(iii) A nominee of the Government of India not below the rank of Joint Secretary.

NOTE : The position of the Committee for the Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories will be determined separately in consultation with the Joint Cadre Authority for the said Cadre.";

(3) In regulation 5,—

(a) for the words "first day of January" wherever they occur, the words "first day of April" shall be substituted;

(b) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(1) Each Committee shall ordinarily meet at intervals not exceeding one year and prepare a list of such members of the State Police Service, as are held by them to be suitable, for promotion to the Service. The number of members of the State Police Service to be included in the list shall be calculated as the number of substantive vacancies anticipated in the course of the period of 12 months, commencing from the date of preparation of the list, in the posts available for them under rule 9 of the Recruitment Rules plus twenty per cent of such number or two whichever is greater.

EXPLANATION—In case of joint cadres, a separate select list shall be prepared in respect of each State Police Service, the size of each select list being determined in the manner indicated above."

(c) sub-regulation (2A) and explanation thereunder shall be omitted;

(d) In sub-regulation (5), for the words "the State Police Service" the following shall be substituted, namely:—

"the State Police Service :

Provided trat the name of any officer so included in the list shall be treated as provisional if the State Government, withholds the integrity certificate in respect of such officer or any proceedings are conemplated or pending against him or anything adverse against him has come to the notice of the State Government.";

4. After regulation 6, the following regulation shall be inserted, namely:—

"6A. The State Government shall also forward a copy of the list referred to in regulation 6 to the Central Government and he Central Government shall send their observations on the recommendations of the Committee to the Commission.";

5. In regulation 7,—

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :

"(1) The Commission shall consider the list prepared by the Committee alongwith—

(a) the documents received from the State Government under regulation 6;

(b) the observations of the Central Government and unless it considers any change necessary, approve the list.";

(b) in sub-regulation (4),—

(i) before the first proviso, the following shall be inserted, namely :—

"Provided that no appointment to the Service under regulation 9 shall be made after the meeting of the fresh Committee to draw up a fresh list under regulation 5 is held";

(ii) in the first proviso, for the words "Provided that", the words "Provided further that" shall be substituted;

6. In regulation 9,—

(a) in sub-regulation (1), after the proviso, the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided further that the appointment of an officer, whose name has been included in the select list provisionally, under proviso to sub-regulation (5) of regulation 5 shall be made after his name is made unconditional by the Commission on the recommendations of the State Governments during the period the Select List remains in force. While making appointment of an officer junior to a select list officer whose name has been included provisionally in the select list, one post will

have to be kept vacant for such a provisionally included officer;

Provided also that in case where a select list officer whose turn for appointment has come, has expressed his unwillingness for appointment to the service and the State Government concerned informs the Central Government accordingly, his juniors from the select list shall be appointed without keeping any post reserved for such an officer. He shall have no claim for appointment to the service from that select list.";

(b) for sub-regulation (2), the following sub-regualtion shall be substituted, namely.—

"(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before such appointments are made, unless during the period intervening between the inclusion of the name of a member of the State Police Service in the Select List and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in the work of the member of the State Police Service or there is any other ground which, in the opinion of the State Government or the Central Government, is such as to render him unsuitable for appointment to the service.";

(7) after regulation 9, the following shall be inserted, namely:—

"9A. Powers of the Central Government not to appoint in certain cases.—

Notwithstanding anything contained in these Regulations or the recommendations made by the State Government concerned under Regulation 9(1). The Central Government may not appoint any person whose name appears in the Select List, if it is of opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest;

Provided that no such decision shall be taken by the Central Government without consulting the Union Public Service Commission";

(8) the Schedule shall be omitted.

Note: The Principal Regulations were published vide Notification No. 14|2|54-AIS.II dated 6-6-1955.

Subsequently amended by:—

1. 13|21|56-AIS.III dated 28-2-58.
2. 13|10|57-AIS(III)-D dated 29-7-1958.
3. 17|19|58-AIS.III-B dated 2-6-1959.
4. 10|5|61-AIS.I dated 1-9-61.
5. 27|48|64-AIS III-11 dated 11-12-64.
6. 27|28|64-AIS. B dated 24-5-69.
7. 14|25|65-AIS. III dated 7-2-66.
8. 27|42|64-AIS. III dated 31-3-67.
9. 13|4|67-AIS(I)-(5) dated 29-12-67.
10. 17|5|68-AIS. III-B dated 24-5-69.
11. 17|19|58-AIS(III)B dated 2-6-69.
12. 16|1|68-AIS (III) dated 9-4-70.
13. 16|5|70-AIS (III) dated 21-9-71.
14. 13|4|71-AIS(I) dated 11-1-72.
15. 1|1|72-AIS(I)-B dated 12-10-72.
16. 11|1|72-AIS(I)-B dated 22-5-73.
17. 11|2|73-AIS(I)-D dated 12-9-73.
18. 11|1|73-AIS(I)-B dated 19-2-74.
19. 11039|6|75-AIS(I)-B dated 20-4-76.
20. 11039|6|75-AIS(I)-B dated 30-9-76.
21. 11039|6|76-AIS(I)-B dated 11-4-77.
22. 11039|6|76-AIS(I)-A dated 3-6-77.
23. 11039|2|76-AIS(I)-A dated 3-10-77.
24. 11039|21|76-AIS(I)-B dated 1-6-78.
25. 28013|20|76-AIS(I)-B dated 5-10-79.
26. 11039|6|77-AIS(I)-B dated 19-3-83.
27. 14015|39-85-AIS(I) dated 30-12-87.
28. 130|13|189-AIS(I) dated 24-1-89.

[No. 14015|26|89-AIS(I)]

M. K. TREHAN, Desk Officer.

3237 GI/89—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989